संख्या-12/2026/232/002-12-5099-35-2025

प्रेषक,

रंजना दूबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026**

विषय:- SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना(के०60/रा०40-के०+रा०) के अनुदान संख्या-11 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या-भू०सं०/बाढ़ो0यो0/1602/वित्तीय स्वीकृति/PKVY/2025-26, दिनांक 19 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0106--नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना के(के०60/रा०40-के०+रा०) विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू० 21558.46 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू० 972.30 लाख व उसके सापेक्ष राज्यांश रू० 648.20 लाख अर्थात कुल मिलाकर धनराशि रू० 1620.50 लाख (रूपये सोलह करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
4. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2026 एवं अन्य सुसंगत दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
8. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा SNA-SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1/2025/बी-1-156/दस-2024-25 दिनांक 21 जनवरी, 2025 एवं शासनादेश संख्या-2/2025/बी-1-201/दस-2025, दिनांक 30 जनवरी, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/ प्राविधानों एवं अन्य संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001020106 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001020106 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	27 सब्सिडी	8,42,00,000 (रुपये आठ करोड़ बयालीस लाख मात्र)
2	011	2402001020106 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	6,41,00,000 (रुपये छह करोड़ इकतालीस लाख मात्र)
3	011	2402001020106 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
4	011	2402001020106 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के	46 कम्प्यूटर	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	
5	011	2402001020106 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	28,50,000 (रुपये अट्ठाईस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**16,20,50,000** **(रुपये सोलह करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	16,20,50,000 (रुपये सोलह करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-303-X-2025-26,** दिनांक 09 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
रंजना दूबे
अनु सचिव।

संख्या-12/2026/232/002-12-5099-35-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रंजना दूबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।